भारतीय किसान मुक्ति आंदोलन

INDIAN FARMERS LIBERATION MOVEMENT

Consortium of Indian Farmers Associations (CIFA)

Bharatiya Kisan Union (A)

Kisan Maha Panchayat Rajasthan

दिनांक : 15 सितंबर 2015

भारतीय किसान मंच द्वारा मांग पत्र

1. किसानों द्वारा लिए गये सभी ऋणों को तुरंत माफ करना

1.ए–भारतीय किसानों की स्थिति रोमन रईसों की सेवा मे रोमन दास के रुप मे वर्णित किया जा सकता हैं। भारतीय किसान अब उद्योगों के लिए कम लागत पर सामग्री और शहरी संगठित क्षेत्रों के लिए सस्ते खाद्यान्नों को उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहे हैं। समान विकास के संवैधानिक दायित्वों को सभी किसानों को वंचित कर रहे हैं। मतदान का अधिकार को छोडकर, भारतीय किसान को किसी अन्य का अधिकार नही हैं।

1.बी–टेबल–1–राज्यों मे किसानों की ऋणग्रस्ता (सेन गुप्ता रिपोर्ट)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	ऋणग्रस्ता किसानों के परिवार की संख्या	ऋणग्रस्ता किसानों का प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश/तेलंगाना	49,49,300	82%
2.	तमिलनाडू	28,95,400	74.5%
3.	पंजाब	12,06,900	65.4%
4.	केरल	4,12,600	64.4%
5.	कर्नाटक	24,89,700	61.6%
6.	महाराष्ट्र	36,09,800	60.8%
7.	हरियाणा		53.1%
8.	राजस्थान	27,82,800	52.4%
9.	गुजरात	19,64,400	51.9%
10.	मध्य प्रदेश	32,11,000	50.8%
11.	उडीसा	20,25,000	
12.	बिहार	23,38,300	

किसानों की ऋणग्रस्ता का कारण कम कीमतें हैं जब सूखा, बाढ, कीट, बीमारियों की वजह से फसलें खो रहे हैं तब समर्थन प्रदान करने के लिए विफल हैं। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य हमेशा कम ही निर्धारित होता हैं और यह भी किसानों को अपने निवेशों को ठीक करने मे भारी नुकसान पहुंचाता हैं। निर्यात पर प्रतिबंध से किसानों को भारी नुकसान होता हैं। 2001–2009 के बीच निर्यात पर प्रतिबंध की वजह से किसानों को 8 फसलों मे 7,15,520 करोड रुपये की उंची कीमतों से वंचित हुए हैं।

1–सी– अंतरराष्ट्रीय कीमतों और भारतीय कीमतों का तुलनात्मक विवरण और 2004–2012 के बीच भारतीय किसानों को नुकसान

वर्ष	अंतराष्ट्रीय कीमतें प्रति डालर /मैट्रिक टन	भारतीय कीमतें	भारत सरकार द्व न्यूनतम समर्थन मूल्य
2004-05	214.09	235.89	186.95
2005-06	265.70	244.32	193.12
2006-07	282.31	254.77	205.53
2007-08	316.47	322.33	277.57
2008-09	529.61	340.63	293.52
2009-10	459.95	364.43	356.17
2010-11	435.61	364.43	316.17
2011-12	512.04		333.04

यह ध्यान दिया जाना है कि देश के भीतर सभी कृषि जिंसों पर प्रतिबंध हों। यह और अधिक चावल, गेंहू, चीनी और तेल के बीज के लिए जिनको आवश्यक वस्तु अधिनियम के माध्यम से नियंत्रित किया जाता हैं।

1–डी–इस अवधि के दौरान ग्रमीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य , पीने के लिए पानी, रोड, बिजली आदि लगभग सभी क्षेत्रों को पूरी तरह से उपेक्षित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार मे किसानों की एक औसत 80 प्रतिशत परिवार खाना पकाने के लिए जलाउ लकडी या गोबर का उपयोग कर रहे हैं जहां 90 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों मे प्रयोंजन के लिए खाना पकाने के लिए गैस का उपयोग करते हैं। ऋण के संदर्भ मे केवल 25 प्रतिशत किसान बैंक से ऋण प्राप्त कर रहे हैं। केवल 5 प्रतिशत किसान ही बीमा के अंतर्गत सुरक्षित हैं। केवल 60 प्रतिशत किसान निजी साहूकार से पैसा उधार ले रहे हैं जोकि 36 प्रतिशत से 48 प्रतिशत ब्याज का प्रभार लेते हैं। बैंक ऋण के पुनर्निधारण के लगभग 14 प्रतिशत हित के परिणाम हैं अन्य किसानों को दोस्तों, रिश्तेदारों या गोल्ड ऋण वचन पर कर्ज मिल रहा हैं सूखा, बाढ, चकवात, रोगों, फसल बीमा प्रदान करने के लिए विफलता, कम कीमतों और फसल की नुकसान की समस्याओ का कारण भारत सरकार द्वारा चालाकी का परिणाम हैं जो एक ऋण मे हुई हैं जिसे किसान द्वारा चुकाया नही जा सकता हैं।

1 -ई–टेबल–3--कम आय और उच्च व्यर्ग को स्थायी करने के लिए छोटे और सीमांत किसानों के बीच ऋणग्रस्तता (अर्जुन सेन गुप्ता रिपोर्ट)

भूमि धारण	कुल भूमिधारक का प्रतिशत	मासिक आय रुपयों मे	मासिक व्यय रुपयों मे	शुद्ध लाभ/आय
0.01-0.04 भूमिहीन किरायेदार	36%	1387	2297	-910
0.01to 0.04 उप सीमांत धारकों		1633	2390	-757
0.04-1.0 सीमांत धारकों	31%	1809	2672	-863
0.02to 0.1 छोटे धारकों	17%	2493	3149	-654
2.02 to 4..0 अर्ध धारकों		3589	3685	+96
4.0 – 10 मध्यम धारकों	6%	5681	4626	+1055
10 और उपर बडे धारकों	1%	9667	6418	+3249

1.एफ– एक सरकारी चपरासी का मासिक वेतन 15,000 रुपये प्रति माह हैं (वार्षिक 1,80,000) । भारत मे 1 प्रतिशत बडे किसानों के बारे मे तुलनात्मक रुप से आय 3249 रुपये है जो कि 40000 रुपये प्रतिवर्ष है। सफल सरकार दावा कर रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क साथ वे कई सब्सिडी और सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। यह दावा गलत और भ्रामक हैं। 1970 मे गेंहू का न्यूनतम समर्थन मूल्य 76 रुपये था और यह 2015 वर्ष मे बढकर 1450 रुपये हो गया है जिसमे कि 19 बार वृद्धि हुई हैं। इस अवधि के दौरान केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन + डी. ए. मे 110 से 120 बार वृद्धि हुई हैं। स्कूल शिक्षक और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के वेतन मे भी 280 से 320 बार वृद्धि हुई हैं। निजी कंपनी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन मे 350 और उससे अधिक बार वृद्धि हुई हैं।

1.जी– इस अवधि के दौरान चिकित्सा उपचार 200 से 300 और निजी स्कूल फीस मे भी 200 से 300 बार वृद्धि हुई है। सभी संगठित क्षेत्रों मे निशुल्क चिकित्सा सहायता या चिकित्सा बीमा की सुविधा हैं।' जबकि गांवों मे न तो सुविधा हैं और न ही बीमा हैं। चिकित्सा और शिक्षा के लिए व्यय किसानों की ऋणग्रस्तता और आत्महत्यज्ञ करने की प्रमुख समस्या हैं।

1.एच–कषि क्षेत्र संकट हर किसान अत्यधिक व्यथित बनाने का खतरनाक प्रस्ताव पर पहुंच गया हैं और न ही सरकार या प्रशासन या राजनीतिक दलों से समर्थन और राहत पाने के लिए सक्षम हैं। सभी किसान जानते हैं कि भारत सरकार को सभी किसानों का राहत प्रदान करने के लिए वित्त और क्षमता की आवश्यकता हैं। कृषि क्षेत्र मे संकट को देश के संगठित क्षेत्रों–पेशेवरों और अभिजात वर्ग द्वारा देखा जाना हैं यदि किसानों ने खेती बंद कर दे तो हमारा राष्ट गिर जायेगा। हमारे देशवासियों को महसूस होने दो कि युद्ध मे हमारा राष्ट 100 दिनों तक खडा हो सकता है परंतु भोजन के बिना 1 दिन भी खडा नही हो सकता। इन कारणों के लिए ऐसा लगता हैं कि भारत सरकार को बैंकों की सभी लंबित ऋण को माफ करना चाहिए और निजी क्षेत्र के किसानों द्वारा उधार ऋण का भुगतान करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। किसानों को ऋण मुक्त बनाना किसानों मे नये उत्साह के साथ कृषि जारी रखने मे उनके विश्वास का बहाल होगा।

2. किसानों की मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत + 50 प्रतिशत धर मे आय हैं।

2.ए–भारत सरकार कम कीमत के निर्धारण के लिए सी.ए.सी.पी. के कार्य मे हेर–फेर करती हैं।

भारत सरकार योजनाबद्ध तरीके से भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से किसानों को लाभदायक मूल्य से वंचित कर दिया जाता हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना करते हुए सी.ए.सी.पी. उत्पादन लागत को निर्धारण पिछले 3 वर्षो का विवरण को लेता हैं। श्रम, कीटनाशकों को उस वर्ष के रुप मे डीजल की वृद्धि की कीमतों को तय करने मे लिए ध्यान मे नही लिया जाता हैं। उदाहरण के लिए प्रति हेक्टेयर किराया मूल्य पंजाब मे 5,908 रुपयें गणना ही है और हरियाणा मे गेंहू की खेती के लिए 6,260 रुपयें जबकि यह 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से अधिक हैं। 2007 और 2012 के बीच श्रम लागत मे 18 प्रतिशत हर वर्ष वृद्धि हुई है (5 वर्षो मे 90 प्रतिशत) परंतु इसे ध्यान मे नही लिया गया। इस न्यूनतम समर्थन मूल्य की कम कीमत किसानों को 120000 करोड प्रतिवर्ष नुकसान पहुंचाती हैं।

2.बी–वेतन आयोग को लागू करने मे भारत सरकार पूर्वव्यापी प्रभाव देता हैं जबकि किसानों के लिए यह उत्पादन से बाहर दिनांकित लागत पर आधारित हैं। द्वंद्व के कारण कर्मचारी संघ द्वारा मजबूत पैरवी करने के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया जाता हैं।

2.सी–उत्पादन लागत की गणना मे सी.ए.सी.पी. द्वारा अनियमितता

सी.ए.सी.पी. द्वारा 5800 केन्द्रों से एकत्रित इस उपज विवरण भारत सरकार के अर्थशात्र और सांख्यिकी विभाग द्वारा 970184 केन्द्रों एकत्रित विवरण की तुलना मे उच्च हैं। विवरण भारत सरकार के आंकडों के आधार पर किया जाना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना करते समय 8 बाहरी कारकों को ध्यान मे रखना चाहिए क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रभाव औद्योगिक लागत, सामान्य कीमत लागत और जीवन यापन की ल...त को ध्यान मे लिया जाता हैं और उसके अनुसान कम कीमतों को निर्धारित किया जाता हैं। इस विधि को पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए। आदानों की लागत इनपुट की कीमतों मे वृद्धि करने के लिए जुडा हुआ हैं और औद्योगिक उत्पादों और कर्मचारियों के वेतन का मूल्य सूचकांक से जोडा जाना चाहिए।

2.डी–2004 से 2012 तक कांग्रेस द्वारा किसानों के साथ विश्वासघात

वर्ष 2006 मे यू.पी.ए. ने डॉ. एम.एस. स्वामिनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग की नियुक्ति के बारे मे सभी किसानों की समस्याओं को स्थायी रुप से हल करने की घोषणा की। समिति की सिफारिश थी कि सभी किसानों को आजीविका प्रदान की जायें। " न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारित औसत लागत की तुलना मे कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए। किसान की शुद्ध घर की आय प्रशासन कर्मचारी की तुलना की जानी चाहिए।" इसके अलावा यह भी सिफारिश है कि मूल्य स्थिरीकरण कोष पर्याप्त ऋण, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था पेशन आदि। यू.पी.ए. और कांग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी ने कभी इसे लागू करने के लिए कभी प्रयास नही किया। वास्तव मे 2007 और 2012 के बीच प्रधानमंत्री जिन्होने रिपोर्ट के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए एक भी बैठक का आयोजन नही किया।

2.ई–बी.जे.पी. चुनाव घोषणा पत्र के वादों को लागू नही कर रही हैं।

2014 मे बी.जे.पी. ने चुनाव घोषणा पत्र के पेज नंबर 28 मे घोषणा की थी कि "उत्पादन लागत की 50 प्रतिशत मुनाफा की एक न्यूनतम सुनिश्चित करने के द्वारा कृषि मे लाभप्रदता बढानें के लिए सस्ता कृषि आदानों और ऋण–मनरेगा को कृषि खेती के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकयों को श ुरु करने और उच्च बीज और जोडने।" 16 महीने मे श्री नरेन्द्र मोदी जी ने केवल कृषि मंत्रालय के नाम को किसान कल्याण के लिए खेती का नाम बदला हैं। लिखित वादा करने के साथ ही श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा सार्वजनिक आश्वासन तक ही सीमित नही हैं। इसके बजाय श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने भारत के उच्चतम न्याया... मे हलफनामा दायर किया कि "उत्पादन 50 प्रतिशत की कीमत पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की वृद्धि से बाजार विकृत करेंगें।"

2.एफ– टेबल–4–उत्पादन लागत– भारत सरकार के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य और डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन फार्मूले के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (वर्ष 2014–2015 के लिए उत्पादन लागत + 50 प्रतिशत)

फसल का नाम	किसान के लिए उत्पादन लागत प्रति. हेक्टेयर / रुपयें	किसान उत्पादन लागत रुपयें प्रति क्विनटल	सी.ए.सी.पी. द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विनटल (पुराना फार्मूला) रुपये मे	डॉ. एम.एस. स्वामिनाथन के फार्मूले के अनुसार (लागत + 50 प्रतिशत) किसानो का न्यूनतम समर्थन मूल्य पात्र
ए ग्रेड चावल	1,05,209 (5 MT)	2,104	1,345	3,156
आम ग्रेड चावल	1,02480	1,708	1,310	2,562
मक्का (चारा)	28,299	1,769	1,500	2,653
सज्जा	25,486	1,499	1,310	2,248
मक्का	70,474	1,566	1,310	2,349
खमीर	21,354	1,779	1,500	2,668
मूंगफली	40,509	4,501	4,000	6,751
सोयाबीन	52,789	2,778	2,500	4,167
सूरजमुखी	33,633	4,204	3,700	6,306
कपास (लंबा स्टेपल)	98,896	4,945	4,000	7,417
कपास (मध्यम स्टेपल)	92,323	4,859	3,700	7,288
गन्ना (प्रति मैटिक टन)	2,16,986	271 M.T.	210	406

2.जी–प्रत्येक किसान को गणना करना चाहिए सी.ए.सी.पी. द्वारा पुराने निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कितना नुकसान हुआ। किसानों को यह भी गणना करनी चाहिए कि डॉ. एम.एस. स्वामिनाथन के फार्मूले से उनको कितनी आय प्राप्त हुई हैं।

2.एच– भारत सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य की लागत दुनिया में सबसे कम हैं। उदाहरण गेंहू न्यूनतम समर्थन मूल्य 226 डालर प्रति मैटिक टन । पाकिस्तान 320 डालर प्रति मैटिक टन । चाइना 385 डालर प्रति मैटिक टन।

2.आई–वष्ठ 2015–16 के लिए भारत सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य भारतीय किसानों को स्वीकार्य नही हैं। श्री नरेन्द्र मोदी जी करे कि वह 2015–16 के लिए तुरंत उत्पादन लागत + 50 प्रतिशत से संशोधित न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करनी चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित क्षेत्रीय होना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य दूध सहित सभी फसलों के लिए लागू किया जाना चाहिए। सरकारी खरीद की व्यवस्था करना चाहिए।

3. पृथ्क केंदीय कृषि बजट उप प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए–किसान अधिनियम

3.ए–1980 के दशक मे भारतीय किसान उत्पादन मे वृद्धि हुई हैं और राष्ट्रीय को खाद्य सुरक्षा प्रदान की हैं। तब से सभी देशों के प्रधानमंत्रियों ने कृषि की उपेक्षा की हैं और सेवा और औद्योगिक क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया । भारत सरकार के वर्तमान संकट के लिए अग्रणी पर्याप्त ध्यान नही दिया। यह माना गया है कि यह किसानों की अक्षमता अनुकूल नीतियों के बारे मे लाने के लिए और पर्याप्त बजटीय आबंटन उपलब्ध कराने के लिए नीति निर्माताओं पर प्रबल करने के लिए कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की वजह से हैं। खेती क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नेता मौजूद संकट के लिए अग्रणी–किसानों के हित के बाद देखने में नाकाम रहे हैं।

3.बी– यह मांग भारतीय विकास नीति का केंद्र स्तर के लिए कृषि विकास एवं किसान कल्याण लाने के लिए है । 'कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ' के रूप में बुलाया जाना। 1960 के दशक के बाद से. भारतीय विकास मॉडल शहरों के आसपास केंद्रित हो औद्योगीकरण और सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर के पश्चिमी अवधारणाओं पर आधारित था। कांग्रेस और भाजपा द्वारा जारी 1960 के दशक में उदारीकरण की नीतियों संगठित और असंगठित क्षेत्रों और शहरी और ग्रामीण डिवाइड के बीच एक भारी आर्थिक असमानता पैदा की है।

3.सी– ये अर्थशास्त्र नीतियों राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर कई प्रतिकूल प्रभाव डालता है , राजनीतिक स्थिति, सामाजिक मुद्दों और भी कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा की है। गांवों में कृषि क्षेत्र की उपेक्षा और जिस पर निर्भर 600 मिलियन किसानों को न्यूनतम आय, स्वास्थ्य सुविधाएं , शिक्षा और कई अन्य लोगों की कमी की वजह से बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं । औद्योगिक और इस तरह की तकनीकों , निवेश और मुक्त बाजार के रूप में सेवा क्षेत्रों के लिए प्रदान की प्रोत्साहन कृषि क्षेत्र के लिए नहीं दिया जाता है ।

3.डी– हर साल भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए उर्वरक पर सब्सिडी और अन्य लोगों को प्रदान करता है। तुलनात्मक रूप से 5 गुना सुविधाएं औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। यह निवेश की कमी की वजह से है और कृषि क्षेत्र के लिए कम विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया है कि कृषि क्षेत्र को सहायता में वृद्धि हुई प्रदान करते हैं।

3.एफ– 1990 के दशक के बाद से, कृषि क्षेत्र में निवेश लगातार कम हो रहे हैं। कृषि के लिए मंत्रालय को आम तौर पर एक हल्के वजन के रूप में माना जाता है भारत सरकार और राज्य सरकारों में कई मंत्रालयों के बीच कोई समन्वय नहीं है। कृषि के हर मुद्दे को वित्त मंत्रालय और मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना है। के रूप में मनाया . कैबिनेट के रूप में अच्छी तरह से भारत में प्रशासन इंडस्ट्रीज और प्राथमिकता के रूप में सेवा क्षेत्रों समझता है। यह कृषि में सुधारों को लागू नहीं कर रहे हैं, इस कारण के लिए है।

3.जी– हम कृषि, वाणिज्य, उर्वरक, सिंचाई, ग्रामीण विकास, नाबार्ड, मंत्रालयों के अलग-अलग केंद्रीय कृषि बजट के दायरे में लाया जाना चाहिए। कृषि मंत्री के उप प्रधान मंत्री का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैबिनेट उप समिति की अध्यक्षता और एक समयबद्ध तरीके से फैसले लेने चाहिए। कृषि बज[illegible] खरीफ गतिविधि को लाभ के रूप में तो कृषि क्षेत्र कार्यक्रम को लागू सक्षम करने के लिए हर साल जनवरी के महीने में प्रस्तुत किया जाना है।

3.एच– टेबल–5– निम्न तालिका कृषि उपज द्वारा उत्पन्न आय के विवरण प्रदान करता है

जिंसों का नाम	उपज का मूल्य	कर
गन्ना (380 मिलियन टन)	150000 करोड	45,000 करोड
कपास (38 मिलियन बेल्स)	90,000 करोड	40,000
तंबाकू (60 मिलियन कि.ग्रा.)	40000 करोड	32,000 करोड
तिलहन / खाद्य तेल / केक	1,70,000 करोड	25,000 करोड
मांस	25,000 करोड निर्यात	
झींगा	5,000 करोड निर्यात	
मसालें	20,000 करोड निर्यात	

3.I– टेबल–6–निम्नलिखित सहित द्वारा अलग कृषि बजट की व्यवहार्यता मंत्रालयों और आवंटन

मंत्रालय का नाम	कियायें	बजट
वित्त	नबार्ड– फसल बीमा–आपदा राहत–उत्पाद शुल्क–[illegible] और आयात शुल्क	
कृषि	अनुसंधान, विश्वविद्यालयों, सहकारी	
Civil Supplies	खरीद, भारतीय खाद्य निगम, सीसीआई, नेफेड	
वाणिज्य	कॉफी, चाय, रबर, तंबाकू और अन्य कमोडिटी बोर्डों	
उर्वरक	————————	
ग्रामीण विकास	पंचायत राज	
सिंचाई	सिंचाई परियोजनाएं जल उपकर	

4- अन्य मांगों

4.ए– कृषि और सिंचाई विकास भारत सरकार द्वारा लिया गया हो – समवर्ती सूची में शामिल करने के लिए

भारत मे 60 प्रतिशत बारिश से तंग की स्थिति हैं जहां उत्पादकता कम है और किसानों की बड़ी संख्या को अपर्याप्त आय प्रवास, कुपोषण और आत्महत्या करने के लिए अग्रणी [illegible]015 के रूप में, से अधिक 360 सिंचाई परियोजनाओं लंबित हैं वर्षा आधारित क्षेत्रों के बड़े क्षेत्र के लिए सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए। राज्य सरकारों के लिए एक समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कृषि, पीने और देश की वर्षा आधारित क्षेत्रों में किसानों और अन्य लोगों की अन्य मांगों को हल करने के लिए इतनी के रूप में नदियों को जोड़ने पूरा करने के लिए भारत सरकार को निर्देश दिया है। उन्हें जोड़ने के द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में अब समुद्र में बह रही है कि पानी की बर्बादी कटौती होगी। कृषि प्रौद्योगिकियों में 5% विकास दर हासिल करने के लिए और बाजारों सुविधा के लिए आवश्यक हैं। अब के रूप में , राज्य सरकारों के ऊपर प्रदान करने की स्थिति में नहीं हैं। यह भी दोनों प्रधानमंत्रियों ने औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में 10% की वृद्धि को प्राप्त करने के लिए ऋण ले रहे हैं कि उल्लेख किया है। जबकि, राज्यों क्षेत्रों में सामना कर किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए आत्महत्या और अक्षमता के लिए दावा कर रहे हैं। यह कृषि और सिंचाई , निवेश और अन्य जिम्मेदारियों को समवर्ती सूची के तहत उन्हें लाकर भारत सरकार द्वारा लिया जाना है कि हल हो गई है। संविधान संशोधन सहित कानून की आवश्यकता है . ऊपर उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। ऊपर परिवर्तन करने के लिए इतनी के रूप में राष्ट्रीय किसान गठबंधन राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने का प्रयास करेंगे।

4.बी- फसल के लिए और किसानों के परिवार के लिए ऋण और फसल बीमा - व्यक्तिगत किसान कल्याण के लिए मांग

86% किसान छोटे और सीमांत हैं। वे उच्च ब्याज पर पैसा उधार ले। वे सरकारी सब्सिडी और अन्य समर्थन नहीं दिया जाता है। वे अपने निजी उधार लेने और भी कृषि के क्षेत्र में अपने परिवार के श्रम का निवेश। किसान एक फसल खो देता है या दूध गाय है , तो मर जाता है , तो पूरे परिवार गर्मी जहाज करने के लिए रखा जाएगा। इसलिए भारत सरकार हर किसानों परिवार के लिए निम्न बीमा पॉलिसियों प्रदान करनी चाहिए।

फसल बीमा व्यक्तिगत किसानों द्वारा किए गए कुल नुकसान पर होना चाहिए। सूखा, चक्रवात, बाढ़, रोग, सहित फसल के नुकसान पर 30 दिन और मुआवजे के भीतर सुदूर संवेदन द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए आधार कार्ड और पते के आधार पर अलग-अलग किसानों, बैंक, या पोस्ट ऑफिस में जमा की जानी है। इसके अलावा हर किसान परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए Rs.3,00,000 चिकित्सा बीमा के साथ प्रदान की जानी चाहिए। किसानों के बच्चों को 1 % से कम एक ऋण के रूप में कुल कैपिटेशन फीस प्रदान किया जाना चाहिए शिक्षा पूरी करने के 5 साल के बाद वापस भुगतान किया जाना है। हर किसान को 60 साल की उम्र तक पहुंचने पर 5, 000 रुपये की पेंशन का भुगतान किया जाना है।

4.सी- किसानों द्वारा घरेलू स्तर पर सभी पशु पालन गतिविधियों डेयरी भेड़ - बकरी सूअरों ऊंट - जंगली गधा के लिए अनिवार्य ऋण और बीमा

पशुपालन सबसे महत्वपूर्ण सहायक है और यह भी आज 5000 वर्षों के बाद से भारत के किसानों के लिए समर्थन गतिविधि को बनाए रखना। खानाबदोश अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अल्पसंख्यक और कई पिछड़े वर्ग के लाखों राजस्थान, कच्छ के रण, हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों, अरावली, पूर्वोत्तर राज्यों, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के रेगिस्तान क्षेत्रों में से सबसे कठिन क्षेत्रों में पशुपालन गतिविधि पर रह रहे हैं और अन्य क्षेत्रों में। इन किसानों को विशेष ध्यान देने के लिए इन किसानों को वित्तीय, बीमा और बुनियादी सुविधाओं का समर्थन करने के लिए किया जाना चाहिए की जरूरत है जो अपने पेशे में व्यापक अनुभव है। इन किसान से कई दे लंबी अवधि के लिए चराई और बाजार के लिए ले जाने के लिए अपने पालतू जानवर ले, जबकि न्यूनतम आराम दिया है करने के लिए दो पहिया वाहनों के साथ ही चार पहिया वाहन की आवश्यकता होती है। सरकार एक निर्दिष्ट दैन में इन वाहनों के परिवहन के प्रतिबंध लागू नहीं किया जाना चाहिए। इन प्रतिबंधों को लगाने से इन किसानों को 150 से अधिक% परिवहन शुल्क के लिए अतिरिक्त -200% का भुगतान किया है। इस मामले पर भारत सरकार द्वारा हाल ही में आदेश तुरंत बंद कर देना चाहिए। किसानों द्वारा पाला सभी दुधारू पशुओं के साथ ही बकरी, भेड़, सूअर और अन्य जानवरों को अनिवार्यतः 90% सरकार बीमा के साथ बीमा किया जाना चाहिए और यह अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए।

4.डी - मछली और झींगे सहित एक्वा संस्कृति के लिए ऋण और बीमा

भारत 5000 किलोमीटर तटीय क्षेत्र है। टैंक में इसके 30,000 किलोमीटर और लाखों हेक्टेयर में मछली और झींगा बढ़ने की संभावना है। निर्भर लोगों के आसपास 7-8,000,000 मछुआरे, पिछड़े वर्गों , आदिवासियों और अन्य लोगों के लिए है। यह शाकाहारी (जेएएस पुष्प) माना जाता है के रूप में मछली की खपत, लोगों के 80% के द्वारा होता है । मछली एक अत्यधिक न्यूट्रियस भोजन है और सूखी मछली सहित विभिन्न रूपों के रूप में सेवन किया आ सकता है। भारत सरकार पूरी तरह से क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। इस प्रौद्योगिकी, निवेश और विपणन बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने से कुक्कुट क्षेत्र के साथ बराबरी पर विकसित करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है ।

4.ई - कृषि का मशीनीकरण

शारीरिक कठिन परिश्रम 21 वीं सदी में पुरुषों और महिलाओं के लिए स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा कृषि कार्य में श्रम की कमी , समय पर प्रत्यारोपण को कराता है , कटाई नहीं हो रहा है । यह पूरे कृषि गतिविधियों यंत्रीकृत हो कि इसलिए आवश्यक है। किसानों के साथ प्रदान की जानी करने के लिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कपास चुनने की मशीन, भी 50% सब्सिडी पर और 4 % ब्याज पर उपलब्ध कराया जा ट्रैक्टर और कटाई मशीन दूध पशु संभाल सहित मशीनरी : यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कुए लगभग सभी कृषि मशीनरी केवल मौसमी उपयोग किया है ।

4.एफ - दिसंबर 2015 से पहले सभी राज्यों द्वारा सुधारों एपीएमसी के अनिवार्य कार्यान्वयन

प्रतिबंध देश के भीतर सभी कृषि उपज की खरीद और परिवहन के लिए हटा दिया जाना चाहिए । 1998 में तैयार एपीएमसी के दिशा निर्देशों के सभी राज्यों में तुरंत लागू किया जाना चाहिए । यह हम भाजपा, कांग्रेस , समाजवादी पार्टी, तेलुगू देशम पार्टी , अन्नाद्रमुक, अकाली दल , जनता दल बीजू , तृनामूल कांग्रेस और वे निश्चित समय के भीतर एपीएमसी सुधारों को लागू करना चाहिए कि सभी अन्य लोगों सहित सभी राजनीतिक दलों पर प्रबल और मजबूर करना चाहिए कि आवश्यक है। मांग पत्र श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री को सौंपी गई है, वहीं एक साथ मांग एक समयबद्ध तरीके से राज्य स्तर के मुद्दों को लागू करने के लिए अन्य राजनीतिक दलों के लिए कार्य किया जाना चाहिए ।

4.जी- किसानों संस्था की शक्तियों और अधिकारिता विकेन्द्रीकरण

देश को एक प्रधानमंत्री द्वारा शासित है और राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शासित है। जहां जिले के रूप में एक कलेक्टर द्वारा शासित है। किसान / लोग राजनेताओं को दूर करने का विकल्प है , लेकिन वे कलेक्टर नहीं निकाल सकते। यह अधिकारियों ने जिला प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से गलत है। 30 दिसंबर 2015-16 के रूप में सभी किसानों केंद्रित संस्थानों लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित किसानों के तहत कार्य होना चाहिए। पंचायत राज , सहकारिता संस्थाओं, मंडी , जल उपभोक्ता हर 5 साल के लिए चुनाव होना चाहिए। संवैधानिक संशोधन पंचायत को सशक्त करने के लिए किया जाता है , भले ही , राज्यों पंचायत को सशक्त बनाने के नहीं हैं। हम भी मसाले , रबड़, चाय, कॉफी, मत्स्य पालन , तंबाकू और अन्य लोगों के सभी जिंस बोर्डों समितियों निर्वाचित किसानों को सौंप दिया जाना चाहिए ।

4.एच – 5 साल प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात नीतियों

भारत सरकार प्याज और टमाटर की कीमत दिल्ली में वृद्धि हुई है , जब भी कृषि नीतियों को बदलने की प्रवृत्ति है । ऐसा कहा जाता है कि मुद्रास्फीति के आधार पर भारत सरकार के विपणन , प्रसंस्करण और निर्यात में अत्यधिक विरोधी किसान नीतियां अपना रहा है। यह पिछड़े और आगे लिंकेज की स्थापना की जा सकती है और गुणवत्ता को बनाए रखा है और स्टैंड अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के साथ इतना है कि उत्पादकों किसानों के साथ दीर्घकालिक संबंध है करने के लिए किसानों के साथ ही विपणन संस्थानों (प्रसंस्करण उद्योग , खुदरा विक्रेता, और निर्यातकों) के लिए आवश्यक है। हम भारत सरकार हर वस्तु के लिए एक 5 साल के विपणन नीति विकासित करना चाहिए ।

4. आई- किसानों की रक्षा के जंगली जानवर अधिनियम परिवर्तन

देश भर में किसानों के कारण 2001 और 2010 के बीच उड़ीसा में आदि जंगली सूअर , नीले बैल , बंदर, चीतल , काले बतख , नील गाय , हाथी सहित जंगली जानवरों से उनकी फसल का विनाश करने के लिए भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है , 600 लोग मारे गए और लाखों रुपये के थे एकड़ फसल नष्ट कर दिया। हिमाचल प्रदेश के सोलन , हमीरपुर और कांगा जिला फसलों रुपये मूल्य में 1 लाख से अधिक किसानों को । 450 करोड़ रुपए के नुकसान कर रहे हैं। हम वे सरकार अधिनियम परिवर्तन नहीं होता है तो भारतीय वन्य जीवन / संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा इलेवन को बदलना होगा सरकार को नोटिस देकर हर पंचायत में एक प्रस्ताव पारित करने और स्थायी रूप से इन जंगली जानवरों को समाप्त होगा ।

4.जे - हर वस्तु के लिए जोखिम कम करने निधि

भारत विश्व व्यापार संगठन के एक सदस्य नहीं बन गया है । मसाले, बासमती चावल, चीनी , आम, मांस , तंबाकू और अन्य उत्पादों सहित कई भारतीय कृषि उत्पादों को उच्च अंतरराष्ट्रीय मांग की है। साथ करने के लिए भारत सरकार छोटे और सीमांत किसानों के 86% के हित की सुरक्षा के संबंध में परिवर्तन शुरू करने की है प्रतिस्पर्धा और बाजार में उतार-चढ़ाव खड़े हो जाओ। हाल ही में चीनी किसानों और तंबाकू किसानों अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा है। भारत सरकार तंबाकू उत्पाद शुल्क पर चीनी उत्पाद शुल्क और Rs.38,000 करोड़ रुपए पर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। भारत सरकार किसानों के बचाव के लिए नहीं आया था । यह हम हर वस्तु के लिए एक अलग जोखिम शमन कोष की स्थापना की जानी है कि मांग है कि इस कारण के लिए है । तंबाकू , चीनी, मसाले या मांस के हर किलो पर लगाया जा लेवी की एक विशेष राशि और इस कोष सब्सिडी और अन्य समर्थन प्रदान करके संकट की स्थिति में उन्हें मदद करने के लिए किसानों की सहायता के लिए रखा जा सकता है।

4.के- प्रत्यक्ष उर्वरक सब्सिडी पर चर्चा

अब यह जाना जाता है कि अतिरिक्त यूरिया सिंचित फसलों में किसानों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है । बारिश सिंचित क्षेत्रों में किसानों जबकि किसी भी उर्वरक का उपयोग नहीं कर रहे हैं। कारण यूरिया की भूमि से अधिक उपयोग करने के लिए अपमानित कर रहे हैं । उर्वरक कारखानों समय पर बकाया राशि में से कोई भी भुगतान न करने की शिकायत कर रहे हैं । इसलिए किसानों को किसान बीज की खरीद के लिए भी कीटनाशकों के लिए सब्सिडी का उपयोग करने का विकल्प है और होगा तो यह है कि अब कारखानों को दी उर्वरक सब्सिडी सीधे नकदी के रूप में दिया जाना है कि क्या चर्चा करनी चाहिए। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए की आवश्यकता है। जिसके बाद भारत सरकार ने प्रत्यक्ष उर्वरक सब्सिडी पर अध्ययन का संचालन करने के लिए प्रयोगात्मक जिले को लेने के लिए कहा जा सकता है ।

4.एल - काश्तकारी अधिनियम को बदलने पर चर्चा

आंध्र प्रदेश के कई जिलों में खेती 60% किरायेदारों द्वारा किया जाता है । हालांकि विभिन्न कारणों के लिए कोई लिखित समझौता नहीं है । यह निवेश करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए इतनी के रूप में लंबी अवधि के समझौते में प्रवेश करने के लिए किरायेदार किसानों के लिए समस्या पैदा कर रही है । यह भी सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं कि हो रही बैंक ऋण और अन्य सुविधाओं से काश्तकार को रोकता है। हम लिखित समझौते को प्रोत्साहित करने के लिए इतनी के रूप में किरायेदारी अधिनियम उपयुक्त संशोधन कर दिया है ।

4.एम - शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर किसानों को रेलवे से रियायतें

लाखो किसानों आजीविका के लिए शहरों के लिए हर साल पलायन करतें है । वे गांव में बच्चों और बूढ़े लोगों के पीछे रहते हैं। दूर गांव से 6 महीनों के दौरान वे लगातार यात्रा का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। यह वे हर 2 महीने के लिए उनके परिवारों की यात्रा के लिए रेलवे यात्रा रियायत दी जानी आवश्यक है। यह किसानों के परिवारों को रियायती गुजरता प्रदान करने के लिए रेल मंत्रालय के अनुरोध करने के लिए हल हो गई है ।

4.एन - कृषि प्रवासियों में शहरों और कस्बों के लिए सुविधाएं

किसानों के लाखों लोगों निर्माण श्रम , रिक्शा चालकों , ऑटो चालक, सुरक्षा गार्ड, सब्जी विक्रेताओं और काम करने के अन्य क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए आ जाते हैं। इन प्रवासियों के लिए शौचालय , कपड़े धोने, की कोई आम सुविधाएं हैं। हमारी भारत सरकार से मांग हैं कि हर कस्बे और शहर काम कर रहे किसानों के लिए सुविधाओं प्रदान की जानी चाहिए ।

5 - गतिविधिया

1. राष्ट्रीय समन्वय समितियों की स्थापना - राष्ट्रीय राज्य , क्षेत्रीय , कमोडिटी / जिला / तहसील और गांव।
2. बैठकों और सेमिनारों का आयोजन करने के लिए ब्रोशर, साहित्य , गीत , नारे आदि तैयार करें। उन्हें जागरूक करने के लिए विधायकों , सांसदों और मीडिया से मिलना
3. किसानों ने 2 अक्टूबर 2015 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर काम करने की प्रतिज्ञा लेने के लिए स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद किसानों को मुक्ति आंदोलन की शुरूआत और श्री नरेन्द्र मोदी जी, प्रधानमंत्री से मिलने और समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए मांग पत्र प्रस्तुत करने का कार्यक्रम बनाया ।
4. राष्ट्रीय समिति को लागू करने और समन्वय के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करेंगे
5. विचार-विमर्श में भाग लेने वाले सीआईएफए और बीकेयू -ए का सदस्य

भारतीय किसान संघ–परिसंघ (सिफा)	भारतीय किसान यूनियन (ए)	किसान महापंचायत
8/32, साउथ पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 फोन: 011-25842111, फैक्स: 011-25842123, ई–मेल: cifa_delhi@yahoo.com श्री सतनाम सिंह बेहरु अध्यक्ष मोबाइल: 09814149077 ई–मेल: satnamsbehru@gmail.com बी. दशरथ रामी रेड्डी महासचिव(सिफा) मोबाइल: 09848040991 ई- मेल: dasarathbojja@gmail.com श्री केशव आर्य कार्यकारी सहायक सिफा दिल्ली कार्यालय मोबाइल: 09718454142 ई- मेल; keshav.cifa@gmail.com श्री आई. एस. शेखर कार्यकारी सहायक सिफा हैदराबाद कार्यालय मोबाइल : 09700631766 ई–मेल: sekhar.ys@gmail.com	मकान नंबर–19 सैक्टर–13 फरीदाबाद–121002, हरियाणा श्री रिषिपाल अंबावत अध्यक्ष मोबाइल: 09811331919 ई–मेल: praveen.1919@yahoo.com श्री शमशेर सिंह दहिया महासचिव मोबाइल: 09215734365 ई–मेल; gyansiddhant03@gmail.com	पटेल भवन, बाईस गोदाम, आई.ओ.सी. के सामने, जयपुर, राजस्थान–6 श्री रामपाल जाट अध्यक्ष मोबाइल: 09414030250

बी.के.यू. मंच के सदस्यों के लिए दिशा-निर्देश

१- बीकेयू / सी आई एफ ए / किसान महापंचायत के लिए नाम, पता और अपने संघों की गतिविधियों को सूचित करें

२- अपने संघों के लिए प्रासंगिक हैं कि मुद्दों को शामिल करके एक ब्रोशर तैयार करें।

३- अपने कार्यक्रमों की योजना बनाए और गतिविधियों को भारतीय किसान मंच को सूचित करें।

४- कृपया अधिक सहायता/ मार्गदर्शन के लिए बीकेयू / सीआईएफए और किसान महापंचायत के सदस्यों से संपर्क

बी. दशरथ रामी रेड्डी
महासचिव (सिफा)
भारतीय किसान संघ–परिसंघ (सिफा)
ई–मेल: cifa_delhi@yahoo.com

शमशेर सिंह दहिया
महासचिव –भारतीय किसान यूनियन (ए)
भारतीय किसान यूनियन (ए)
ई–मेल:praveen.1919@yahoo.com